सप्तदश

बिहार विधान सभा

चतुर्थ सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 11 अग्रहायण, 1943 (श०)
02 दिसम्बर, 2021 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 07

(1)	कृषि विभाग	02
(2)	नगर विकास एवं आवास विभाग	02
(3)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	02
(4)	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	01
	कुल योग --	07

ऑनलाइन सदस्यता देना

12. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि ऑनलाइन सदस्यता की सुविधा नहीं होने के कारण राज्य के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर समेत राज्य के अन्य जिलों में 2500 मछुआरा समिति के माध्यम से मत्स्य विकास को प्रोत्साहन देने का काम कर रही है, जिसमें पारदर्शिता नहीं होने के कारण भ्रष्टाचार व्याप्त है, यदि हाँ, तो क्या सरकारी इसकी निष्पक्ष जाँच कराते हुये ऑनलाइन माध्यम से मछुआरे को मछुआरा समिति का सदस्य बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लार्वा साइडल छिड़काव कराना

13. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 16 नवम्बर, 2021 को प्रकाशित शीर्षक "हर इलाके में मिल चुके डेंगू मरीज, लार्वा मारना जरूरी बता रहे एक्सपर्ट, मगर केमिकल रहते छिड़काव नहीं" के आलोक में क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राजधानी पटना सहित राज्य के हरेक इलाकों में डेंगू का प्रकोप विद्यमान है एवं पीड़ितों की संख्या सिर्फ पटना शहर में 249 है, फिर भी डेंगू रोधी केमिकल और संसाधन की उपलब्धता के बावजूद भी नगर निगम के अधिकारियों की अकर्मण्यता से कहीं भी लार्वा साइडल का छिड़काव नहीं हो रहा है तथा अधिकारियों द्वारा झूठे दावे किये जा रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुये लार्वा साइडल छिड़काव कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उच्चस्तरीय जाँच कराना

14. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान होने पर 13 हजार रुपये प्रति एकड़ एवं फसल की रोपाई नहीं होने पर 6 हजार 800 रुपये प्रति एकड़ देने का प्रावधान किया गया है लेकिन योग्य किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच एक उच्चस्तरीय गैर विभागीय कमिटी से कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जी0 आई0 टैग दिलाना

15. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा मखाना को वैश्विक पहचान "बिहार मखाना" के रूप में जी0 आई0 टैग दिलाने की कार्रवाई की जा रही है, जबकि विश्व के कुल उत्पादन का 90 प्रतिशत से अधिक मखाना का उत्पादन सिर्फ मिथिलांचल क्षेत्र में होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दिनांक 11 सितम्बर, 2020 को बिहार कृषि विश्वविद्यालय, भागलपुर द्वारा "बिहार मखाना" का नाम "मिथिला मखाना" करने के लिये जी0 आई0 रजिस्ट्रार को पत्र भेजा गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि भारत सरकार के भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के कन्सल्टेटिंग समूह ने हाल में "मिथिला मखाना" उत्पादक कृषक एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक कर "मिथिला मखाना" के रूप में जी0 आई0 टैग दिलाने पर सहमति दी है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार "बिहार मखाना" के बजाय "मिथिला मखाना" के रूप में जी0 आई0 टैग दिलाने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । दिनांक 8 नवम्बर, 2021 को बैठक की गई है तथा मिथिला मखाना के रूप में जी0 आई0 टैग प्राप्त करने का कार्य प्रक्रियाधीन है ।

(4) मखाना का जी0 आई0 टैग "मिथिला मखाना" स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अधिष्ठाता, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के पत्रांक 531, दिनांक 11 सितम्बर, 2020 के द्वारा रजिस्ट्रार, औद्योगिक क्षेत्र जी0 एस0 टी0 रोड, गुण्डी, चेन्नई को प्रेषित किया जा चुका है तथा प्रक्रियाधीन है ।

औचित्य बतलाना

16. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 13 नवम्बर, 2021 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "शहरी जलापूर्ति नया कनेक्शन तीन दिनों में 24 घंटे में दूर होगी गड़बड़ी" के आलोक में क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सूबे के शहरी निकायों में पेयजल आपूर्ति एवं इससे जुड़ी तमाम गड़बड़ियों के लिये जारी गाइड लाइन के अनुसार पाइप लाइन बिछाकर कनेक्शन देने की अवधि तीस दिन तय की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत दरभंगा में 15000, मुजफ्फरपुर में 12000, पूर्णियाँ में 12000, कटिहार में 10000, गया में 15000 एवं मुंगेर में 25000 घरों में पानी के कनेक्शन के लिये पाइप लाइन ही नहीं बिछाया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो खंड (1) में वर्णित पाइप लाइन में पानी का कनेक्शन देने के लिये तय समय-सीमा का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि जिस तरह जलापूर्ति चालू है वहाँ पर नया कनेक्शन हेतु पाइप लाइन बिछाकर तीस दिनों के अन्दर जलापूर्ति प्रारंभ करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक । वर्णित नगर निकायवार वस्तुस्थिति निम्नवत् है :--

नगर निकाय	लक्ष्य	उपलब्धि	कार्य प्रगति में
दरभंगा	33374	13211	20163
मुजफ्फरपुर	69051	53809	15242
पूर्णियाँ	31008	21308	9700
कटिहार	27770	23385	4385
मुंगेर	38921	4535	34386

गया में ADB सम्पोषित योजना के तहत जलापूर्ति हेतु 511 किलो मीटर पाइप लाइन बिछाने एवं 75000 घरों में पानी का कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य है । अबतक 326.15 किलो मीटर पाइप लाइन बिछाया जा चुका है । विभागीय पत्रांक 2081, दिनांक 28 नवम्बर, 2021 द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को शीघ्र लम्बित कार्यों को पूर्ण करने का निदेश दिया गया है ।

(3) उपरोक्त खंडों में स्थित स्पष्ट कर दी गई है ।

ऋण माफ करना

'क'-17. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में धान चावल अधिप्राप्ति हेतु को गति देने हेतु पैक्सों के द्वारा अरवा राइस मिल की स्थापना की गई थी तथा पैक्सों को अरवा राइस मिल लगाने हेत सरकार के द्वारा ऋण दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि कोरोना संक्रमण के बाद लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी के आलोक में खाद्य सुरक्षा एवं उपभोक्ता विभाग ने विगत अक्टूबर, 2021 में यह निर्णय लिया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिये अरवा चावल विशेष परिस्थितियों में ही लिया जायेगा ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसी परिस्थिति में पैक्सों को दिये गये ऋण माफ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । राज्यान्तर्गत पैक्स/व्यापार मंडल को चावल मिल निर्माण हेतु सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले प्रति इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत राशि चक्रीय पूँजी के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। चक्रीय पूँजी के वापसी योजना पूर्ण होने के अगले वर्ष से 20 अर्द्धवार्षिक समान किस्तों में 10 वर्ष में किये जाने का प्रावधान है।

(2) अस्वीकारात्मक । वर्तमान में खरीफ विपणन मौसम 2021-22 अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति कार्य चल रहा है एवं यथासंभव उसना चावल तैयार करने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी से इस निर्णय का संबंध नहीं है। राज्य के उपभोक्ताओं की पसंद के आधार पर उसना चावल तैयार करने का निर्णय लिया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में भी उसना चावल प्राप्त किया जाएगा ।

(3) इस आशय का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भुगतान कराना

18. श्री संजय कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-30 बेलसंड)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में रैयत/गैर-रैयत से धान एवं गेहूँ का पैक्स एवं व्यापार मंडल के माध्यम से खरीदे जाने एवं 48 घंटा के अन्दर राशि भुगतान करने का निर्णय लिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में रैयतों/गैर-रैयतों से फसलों को पैक्स एवं व्यापार मंडल द्वारा लिया जाता है, परन्तु अधिप्राप्ति की रसीद नहीं दी जाती है ;

(3) क्या यह बात सही है कि रसीद नहीं मिलने से रैयतों/गैर-रैयतों को प्राप्त करायी गयी फसलों की निर्धारित की गयी समय-सीमा के अन्दर सही वजन की राशि भुगतान भी नहीं की जाती है, जिससे रैयतों का दोहन होता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार रैयतों/गैर-रैयतों द्वारा किये गये फसलों की अधिप्राप्ति रसीद दिलाने एवं राशि का भुगतान समय-सीमा के अन्दर कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'क'-सहकारिता विभाग के पत्रांक 3413, दिनांक 26 नवम्बर, 2021 के द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में स्थानान्तरित ।

प्रभारी मंत्री-- (1) स्वीकारात्मक ।

(2) अस्वीकारात्मक।

(3) अस्वीकारात्मक ।

(4) अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि खरीफ विपणन वर्ष 2015-16 से पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा धान एवं गेहूँ की अधिप्राप्ति के पश्चात् रैयत/गैर-रैयत किसानों को प्राप्ति रसीद उपलब्ध करायी जाने की व्यवस्था है। अधिप्राप्ति में और अधिक पारदर्शिता एवं गुणवत्ता लाने के लिए खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में किसानों को प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराये जाने के साथ-साथ एस0एम0एस0 (SMS) के माध्यम से भी किसानों को धान की मात्रा, मूल्य एवं भुगतान की संभावित तिथि की सूचना दी जाने की व्यवस्था कर दी गयी है ।

पटना :
दिनांक 2 दिसम्बर, 2021 (ई0)

शैलेन्द्र सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 46(एल0ए0)-2021-22-डी0टी0पी0-550